प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **23/2026** (अपील सूचना का अधिकार)
देवनारायण मीणा पताः जी–4, जय श्रीराम अर्पाटमेंट, सेक्टर–14, हिरण मगरी, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक ऑनलाईन अपील क्रमांक 329851895797510 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10.03.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्रांक 7499595267 दिनांक 13.01.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/23/26/84–85 दिनांक 13.01.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 10.03.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। आवेदन पत्र अनुसार बिन्दु संख्या 1 में जनवरी 1960 से जनवरी 2025 तक ग्राम झुसावाडा की हाल जमाबंदी की खसरा संख्या 396 रकबा 0.1100 व 397 रकबा 0.1600 खाता संख्या पुराना 42 व नया खाता संख्या 53 की भूमि का विरासत/विक्रय/दान पत्र द्वारा किये गये सभी प्रकार के हस्तांरण से पूर्व ग्राम सभा से प्राप्त अनुमोदन पत्रों की एवं जमाबंदी की पूर्ण विवरण सहित प्रतिलिति चाही गई है। बिन्दु संख्या 2 में जनवरी 2020 से 10.03.2025 तक ग्राम झुसावाड़ा में स्थित भूमियों को राज्य सरकार/निजी व्यक्ति या संस्थान द्वारा प्लॉटिंग योजना बनाकर बनाई गई प्लॉटों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र या स्वीकृति पत्र सहित दस्तावेज की प्रतिलिपि। बिन्दु संख्या 3 में 10.03.2025 तक

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

RajKaj Ref No.: 22238809
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.15 12:10:50 IST
Reason: Approved

कुल संगठित/ असंगठित/सरकारी/गैर सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ निजी या अन्य माध्यम से केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व संचालित कुल शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संस्थान/महाविद्यालय/विद्यालय/हॉटलों/जनआवास/ की सार्वजनिक कार्यालयों/ कल कालखानों/शॉपिंगमॉल/ऑटोमोबाईल वर्कशॉप/राजकीय प्रशासनिक कार्यालय /निजी संस्थान कार्यालय व अन्य प्रकार की संख्या व कार्यालय जहां (सरकार/ अर्द्धसरकारी/स्वायत निजी) में यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन गठित आंतरिक शिकायत समितियों व स्थानीय शिकायत समितियों के सदस्यों के द्वारा दर्ज कराई गई एवं आंतरिक समितियों व स्थानीय शिकायत समितियों को प्राप्त कुल शिकायतें, दर्ज, निस्तारित, विचाराधीन की पूर्ण विवरण सहित सत्यापित प्रतिया चाही गई है। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब पत्रांक 1001 दिनांक 05.12.2025 की प्रति संलग्न की गई है जिसमें सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारणों के संबंध में स्पष्ट वर्णन किया गया है।

"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का दायित्व केवल वही सूचना उपलब्ध कराना है जो अभिलेखों में विद्यमान हो तथा जिसे युक्तियुक्त रूप से चिन्हित किया जा सके। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अस्पष्ट, अत्यधिक व्यापक, अनिश्चित अथवा दीर्घ अवधि से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत संकलन करे, विशेषकर तब जबकि अभिलेख अत्यंत पुराने हों एवं सूचना किसी संकलित रूप में उपलब्ध न हो। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अत्यधिक विस्तृत, बहुविषयी एवं दीर्घ अवधि से संबंधित है। साथ ही बिन्दु संख्या 3 में चाही गई सूचना व्यक्तिगत एवं गोपनीय प्रकृति की है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अंतर्गत प्रकटीकरण से अपवर्जित है। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना पर्याप्त रूप से विशिष्ट एवं स्पष्ट न होने के कारण, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न कराए जाने में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रथम अपील में निर्धारित समय में अपीलोत्तर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

RajKaj Ref No.:
22238809
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.15 12:10:50 IST
Reason: Approved